

राजस्थान आवासन मण्डल
नियमितीकरण हेतु आवेदन-पत्र

श्रीमान लेखाधिकारी (वसूली),
राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त

आवेदन कर्ता
की सत्यापित
फोटो

विषय :- आवास संख्या योजना शहर
को मेरे नाम नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

- (A)** 1. आवेदक का नाम (क्रेता) :
2. पिता/पति का नाम :
3. क. शहर का नाम :
ख. कॉलोनी का नाम :
ग. मकान संख्या (जिसका नियमितीकरण होना है)
4. राष्ट्रीयता :
5. पता (पत्र व्यवहार) :

टेलीफोन सं० फेक्स सं०

- (B)** मूल आवण्टी/आवंटन से सम्बन्धित सूचनाएं :

मूल आवण्टी का नाम :
पिता/पति का नाम :
पंजीकरण वर्ष :
वरीयता क्रमांक :
शहर :
योजना :
आवास संख्या :
वर्तमान पता :
आवंटन पत्र क्रमांक/दिनांक :
कब्जा पत्र क्रमांक/दिनांक :
कब्जा प्राप्त करने की दिनांक :

उक्त आवास मैंने श्री (मूल आवण्टी)..... पुत्र /पत्नि
..... से क्रय कर लिया है अतः उक्त आवास का नियमितीकरण मेरे
पक्ष में करने का श्रम करें।

प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

1. प्रशासनिक शुल्क जमा की रसीद
2. इकरारनाम
3. मुख्त्यार नामा
4. वसीयत नामा (आवश्यक होने पर)
5. आवण्टन पत्र
6. कब्जा पत्र
7. जमा राशि विवरण
8. शपथ पत्र/वचनबद्धता पत्र
9. क्षतिपूर्ति बन्धक

क्र०म०श० 2.

(C) सत्यनिष्ठा कथन :-

- (क) मैं एतद्वारा धोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।
- (ख) मैंने राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति विनियम 1970 को पढ़, समझ लिया है और इन्हें स्वीकार करता हूँ/करती हूँ।
- (ग) मेरी मृत्यु होने की दशा में मैं निम्न लिखित व्यक्तियों को अधिकार क्रम में नाम निर्देशक के रूप में नाम निर्देशित करता हूँ/करती हूँ।

क्र० सं०	नाम	आयु	सम्बन्ध
1			
2			
3			

स्थान : - आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक :- नाम :
पता :
.....
.....

नोट :- नोटेरी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करावें।

राजस्थान आवासन मण्डल
रसीद

क्रमांक

नियमितीकरण हेतु श्री/श्रीमती पति/पत्नी से आवेदन प्राप्त हुआ जिसके साथ निम्न मूल दस्तावेज प्राप्त हुए :-

1. प्रशासनिक जमा शुल्क की रसीद
2. इकरारनाम
3. मुख्तियार नामा
4. वसीयत नामा (आवश्यक होने पर)
5. आवण्टन पत्र
6. कब्जा पत्र
7. जमा राशि विवरण
8. शपथ पत्र/वचनबद्धता पत्र
9. क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र

उपरोक्त आवेदन पत्र पंजिका में क्रम सं० दिनांक पर दर्ज कर लिया है।

हस्ताक्षर प्राप्त कर्ता

(रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करावें)

शपथ - पत्र

मै पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
 आयु निवासी
 सशपथ हलपिया बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल आवास सं० आवासीय योजना शहर में आवंटन पत्र संख्यादिनांकद्वारा श्री/श्रीमती को किराया क्रय पद्धति पर आवण्टित किया गया था। इस आवास को दिनांक के इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) द्वारा मैंने खरीद लिया था।
2. यह कि उक्त आवास के पेटे पंजीकरण राशि से लेकर बोर्ड को देय समस्त राशि का भुगतान का दायित्व मैं अपने उपर लेता हूँ। अगर भविष्य में भी कोई राशि मकान के पेटे बोर्ड द्वारा बाकी निकाली जाती है तो उसका भुगतान करने के लिए मैं बाध्य रहूंगा/रहूंगी।
3. अगर यह पाया जावे कि मैंने कोई तथ्य छिपाया है अथवा बोर्ड को देय समस्त राशियों का भुगतान नहीं हुआ है तो सम्बन्धित आवास का नियमितिकरण निरस्त कर आवास को बोर्ड की अधिशेष सम्पदा मानते हुए उसे नीलाम करने का बोर्ड को अधिकार होगा जो मुझे स्वीकार्य है।
4. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उक्त मकान के विरुद्ध मुझे बताई गई बकाया राशि मण्डल द्वारा निर्धारित अवधि में जमा करवा दूंगा अन्यथा मण्डल को मेरे द्वारा जमा कराया गया प्रशासनिक शुल्क जम्मा करने का पूरा अधिकार होगा एवं आवास को मण्डल की अधिशेष सम्पदा मानते हुए नीलाम करने अथवा अन्य व्यक्ति को आवण्टित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे स्वीकार्य है।

शपथ ग्रहिता

सत्यापन

उपरोक्त सूचना मद सं० 1 से 4 तक पूर्णतः सत्य एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। मैंने कोई भी तथ्य छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथ ग्रहिता

साक्षी :-

क्रेता

पता

.....

1-

2-

(रू० 10/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी दण्डनायक से सत्यापित करावें)
वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग)

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
.....आयु निवासी
..... वचन बद्धता करता हूँ/करती हूँ कि : -

1. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आवास सं० आवासीय योजना शहर में आवंटन पत्र संख्यादिनांकद्वारा श्री/श्रीमतीको किराया क्रय पद्धति पर आवण्टित किया गया था। इस आवास को दिनांकके इकरारनामा (एग्रीमेन्ट) से मेरे द्वारा खरीद किये जाने के कारण नियमितीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत मेरे नाम से नियमित करने हेतु मैंने आवेदन किया है।
2. यह कि मैंने उक्त आवास के पेटे समस्त बकाया राशि जमा करवा दूंगा/दूंगी। जिसके सबूत मे मूल चालानों/रसीदों की प्रमाणित फोटो प्रतियां पेश कर दूंगा/दूंगी। जिसका उल्लेख मेरे द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र में भी अंकित कर दूंगा/दूंगी तथा बोर्ड को किये गये भुगतान का ब्यौरा मेरे द्वारा प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. यह कि मकान के पेटे किसी भी प्रकार की धनराशि जो मेरे द्वारा मण्डल को देय थी अथवा देय होगी और वह शेष रह गई है अथवा रहेगी, तो यह राशि मय ब्याज व शास्ति जो मण्डल के नियमानुसार देय बनेगी उसके भुगतान का समस्त भार मेरे उपर होगा और माँगे जाने पर मैं अविलम्ब बोर्ड में जमा करा दूंगा/दूंगी। इस प्रयोजनार्थ मण्डल को किसी प्रकार की आर्थिक क्षति होगी तो उसके पुनर्भरण की जिम्मेदारी मुझ पर होगी।
4. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल की देय राशि का पूर्ण भुगतान नहीं होने की दशा में अथवा मेरे नाम से नियमितीकरण करवाने हेतु मूल प्रश्न में किसी भी प्रकार की हेरा-फेरी या जालसाजी की दशा में नियमितीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत मेरे नाम से आवण्टित किये गये आवास के आवण्टन/नियमितीकरण को निरस्त करने का तथा इस आवास को मण्डल की अधिशेष सम्पदा मानते हुए नीलाम करने अथवा अन्य व्यक्ति को आवण्टित करने का राजस्थान आवासन मण्डल को पूर्ण अधिकार होगा, जो मुझे स्वीकार्य है।
5. यह कि राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त नियमों उपनियमों को मानने के लिए मैं बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर क्रेता आवंटी

साक्षी :-

क्रेता

पता

.....

1-

2-

क्षतिपूर्ति बंधक पत्र

क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र एक लिख देता/देती हँ मैं-----पुत्र/पत्नी
श्री-----जाति----- आयु-----निवासी-----रहने
वाला/वाली ने आज बेमुकाम-----

बहक

राजस्थान आवासन मंडल जरिये लेखाधिकारी वसूली राजस्थान आवासन मंडल, जयपुर
वृत्त-----

1. यह कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मकान नं.-----योजना-----
-----शहर----- में किराया क्य पद्धति /नकद भुगतान पद्धति के अंतर्गत मूल
आवंटी श्री/श्रीमती -----पुत्र/पत्नी श्री-----के
नाम आवंटी ने उक्त आवास का कब्जा दिनोंक -----को ले लिया था।
2. यह कि उक्त आवास को मूल आवंटी से दिनोंक -----को मैंने जरिये
इकरारनामा, मुखत्यारनामा द्वि.पक्ष एवं वसीयत द्वारा पूर्ण प्रतिफल राशि देकर खरीद कर
लिया है तथा वर्तमान में उक्त आवास पर मेरा स्वये का व्यक्तिगत रूप से मालिकाना
हक है व मैं ही उक्त मकान का काबिज हूँ। (द्वितीय पक्ष)
- 2(ए) यह कि उक्त आवास का मूल आवंटी जरिये इकरारनामा, मुखत्यारनामा व वसीयत
दिनोंक----- को श्री/श्रीमती----- को विक्रय कर दिया था तथा द्वितीय
पक्ष ने दिनोंक ----- को मुझे जरिये इकरारनामा मय वसीयत द्वारा दिनोंक
----- को मुझे क्य कर दिया था जिसकी पूर्ण प्रतिफल राशि मैंने
श्री/श्रीमती----- (द्वितीय पक्ष) को अदा कर दी है। (तृतीय पक्ष)
3. यह कि उक्त आवास अब कानूनन एवं नियमानुसार राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे
नाम करवाने हेतु, मैंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है जो विचाराधीन है।
4. यह कि उक्त मकान चूंकि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे पक्ष में हस्तान्तरण किये
जाने हेतु मैं स्वयं इस क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र के आधार पर निम्नलिखित शर्तों से पाबन्द
रहूँगा/रहूँगी।
- (क) यह कि मैंने राजस्थान आवासन मंडल में उक्त मकान के सम्बन्ध में हस्तान्तरण हेतु जो
दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उन सभी दस्तावेजों पर मूल आवंटी/द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर हैं
जो सही व सत्य हैं भविष्य में इसमें यदि किसी प्रकार का विवाद हुआ तो उसके लिये
मैं कानूनन हर्जे एवं खर्चे हेतु व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार रहूँगा/रहूँगी।
- (ख) यह कि मेरे द्वारा दस्तावेजों के आधार पर नियमानुसार हस्तान्तरण किया जाता है तो
उसमें प्रयुक्त किए जाने वाली प्रक्रिया के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर पाबन्द
रहूँगा/रहूँगी।

- (ग) मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के पश्चात् मूल आवंटी का आवंटनपत्र निरस्त करने पर मूल आवंटी द्वितीय पक्ष की ओर से कोई ऐतराज नहीं होगा इसके लिये मैं स्वयं अपने आप को कानूनन रूप से मय हर्जे-खर्चे के पाबन्द करता/करती हूँ।
- (घ) यह कि उक्त मकान के संबंध में कोई विवाद झगड़ा नहीं है ना ही अन्य किसी व्यक्ति को बेचान इकरार हस्तान्तरित दान वसीयत रहन भोगलाब किया हुआ है। मेरे पक्ष में हस्तान्तरण के बाद मैं किसी भी प्रकार की अड़चन विवाद होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से कानूनन मय हर्जे खर्चे के आवासन मंडल के पक्ष में अपने आपको पाबन्द करता/करती हूँ।
- (ङ) यह कि मेरे पक्ष में उक्त हस्तान्तरण के पश्चात् राजस्थान आवासन मंडल के समस्त नियमों को सुचारु रूप से पालन करूँगा/करूँगी इससे चूक लिए यदि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा मेरे आवंटन हस्तान्तरण रद्द किया जाता है तो मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी तथा इससे राजस्थान आवासन मंडल को होने वाली समस्त प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिए मैं कानूनन रूप से हजे खर्चे के लिये पाबन्द रहूँगा/रहूँगी।

लिहाजा यह क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र मैंने अपनी राजी खुशी अक्ल होशियारी बिना किसी दबाव के बहकावे में तन्दुरुस्ती की हालत में सोच-समझ कर अपनी सूझ-बूझ से राजस्थान आवासन मंडल के पक्ष में निष्पादित कर दिया है जो सही व सनद रहे वक्त जरूरत काम आवे इति दिनांक-----

निष्पादनकर्ता

स्थान:

साक्षी-1

साक्षी-2

(प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/ सब जज/नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित)

कार्यालय लेखाधिकारी (वसूली) राजस्थान आवासन मण्डल,
वृत्त

क्रमांक :-

दिनांक :-

श्री / श्रीमती

.....
.....

विषय : - आक्षेप पत्र आवास संख्या

संदर्भ :- नियमितीकरण आवेदन पत्र संख्या दिनांक

महोदय / महोदया,

उपरोक्त आवास का नियमितिकरण आपके पक्ष में करने हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसकी जांच करने पर निम्न आक्षेप पाये गये हैं :-

1. आवेदन पत्र पर लगाई गई फोटो सत्यापित नहीं है।
2. आवंटन पत्र / कब्जा प्रपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है।
3. इकरारनामा / वसीयतनामा / मुख्तयारनामा आम मूल संलग्न नहीं है।
4. वचनबद्धता पत्र / शपथ / क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र संलग्न नहीं है।
5. प्रपत्र निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर नहीं है।
6. आवास के आवंटन / कब्जे से पूर्व विलेख लिखे गये हैं, बेचान किया गया है।
7. आवण्टी द्वारा विलेखों पर किये गये हस्ताक्षरों में भिन्नता है। इस हेतु प्रथम श्रेणी दण्डनायक से 10/- रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करावें।
8. उक्त मकान, आपके पक्ष में नियमित करवाने हेतु आप रुपये दिनांक तक राशि संग्रहण केन्द्र संख्या पर जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।
9.
10.

लेखाधिकारी (वसूली)
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त

मुल आवण्टी को समाचार पत्र में प्रकाशन से पूर्व दिये जाने वाले नोटिस का प्रारूप

श्री/श्रीमती

विषय :- नोटिस

महोदय/महोदया,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आपको आवास संख्या योजना
.....शहर में आवंटन पत्र संख्या दिनांक
द्वारा किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवण्टित किया गया था। आपने उक्त आवास की
.....मासिक किश्तें आज दिनांक तक नहीं चुकाई है तथा उक्त आवास आप द्वारा दिनांक
.....को निष्पादित इकरानामा, मुख्तयारनामा एवं वसीयतनामा द्वारा श्री/श्रीमती
.....को बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना ही बेचान कर दिया है।

आप द्वारा इस अनियमित बेचान के फलस्वरूप राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति
निस्तारण विनिमय 1970 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। यदि आपको इस सम्बन्ध में कोई
आपत्ति हो तो पत्र प्रेषण के 15 दिवस में इस कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

आक्षेप प्राप्त नहीं होने पर आवास का आवण्टन निरस्त कर मकान का नियमितीकरण
श्री/श्रीमती के नाम कर दिया जायेगा।

लेखाधिकारी (वसूली)
वृत

मूल आवण्टी को मूल आवण्टन निरस्तीकरण की सूचना का प्रारूप

श्री/श्रीमती

.....
.....

विषय :- आवास संख्या योजना शहर
का मूल आवण्टन निरस्त करने बाबत।

महोदय/महोदया,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आपको आवास संख्या योजना
.....शहर में आवण्टन पत्र संख्या दिनांक
द्वारा किराया क्रय पद्धति के अन्तर्गत आवण्टित किया गया था। आपने उक्त आवास की
.....मासिक किश्तें आज दिनांक तक नहीं चुकाई हैं तथा उक्त आवास आप द्वारा दिनांक
.....को निष्पादित इकरानामा, मुख्तयारनामा एवं वसीयतनामा द्वारा श्री/श्रीमती
.....को बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना ही बेचान कर दिया है।

आप द्वारा इस अनियमित बेचान के फलस्वरूप राज० आवासन मण्डल सम्पत्ति
निस्तारण विनिमय 1970 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। अतः आवास का मूल आवण्टन
निरस्त करने की अन्तिम सूचना(समाचार पत्र का नाम) में दिनांक
..... को प्रकाशित कर सम्बन्धित हितकारियों से आक्षेप/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने एवं आपको
इस बाबत क्रमांकदिनांक द्वारा आक्षेप प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया
था। आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त आवास का आवण्टन एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

उक्त आदेशों को उप-आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

लेखाधिकारी (वसूली)

वृत

क्रेता ::

श्री/श्रीमती

.....
.....

को प्रेषित कर लेख है कि आवास की बकाया राशि का मांग पत्र प्राप्त कर निर्धारित
तिथि तक राशि मण्डल के राशि संग्रहण केन्द्र संख्या स्थान
..... पर जमा कराकर जमा राशि की प्रति/फोटोप्रति कार्यालय में प्रस्तुत करें।

लेखाधिकारी (वसूली)

वृत

कार्यालय लेखाधिकारी (वसूली) वृत्त-
राजस्थान आवासन मण्डल,

बकाया राशि का माँग पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

श्री/श्रीमती

.....

.....

विषय : मकान संख्या कॉलोनी शहर की
बकाया राशि के सम्बन्ध में माँग पत्र।

संदर्भ : आपका आवेदन क्रम संख्या दिनांक

महोदय/महोदया,

राजस्थान आवासन मण्डल की योजना के
आवास संख्या जो कि पूर्व में आवंटन पत्र क्रमांक दिनांक
.....को श्री/श्रीमती/कु. को आवंटित किया गया
था, को बोर्ड में सम्पूर्ण राशि जमा कराए बैगर उक्त आवास का बेचान सम्पत्ति निस्तारण
विनियम 1970 के प्रावधानों के विपरीत होने के फलस्वरूप उक्त आवास का मूल आवण्टन
निरस्त कर दिया गया है तथा मकान आपके कब्जे में होने के कारण उसका आवंटन आपके
पक्ष में नियमित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त आवास का नियमितीकरण-पत्र प्राप्त करने से
पूर्व आपको निम्नानुसार राशि जमा करानी होगी :-

क्र० सं०	विवरण	राशि
1.	उक्त मकान की माह तक मूल बकाया राशि	:
2.	मूल बकाया राशि पर साधारण ब्याज माह से माह तक	:
3.	देरी से जमा की गई किश्तों पर ब्याज	:
4.	लीज की बकाया राशि माह तक	:
5.	लीज पर देय ब्याज	:
6.	लीज मनी एक मुश्त राशि	:
7.	अतिरिक्त लागत की बकाया	:
8.	प्रशासनिक व्यय	:
9.	अन्य	:
	जोड (क्र. सं. 1 से 8 तक)	:
	घटाये : किराया क्रय जमा राशि	: (-).....
	दिनांक तक कुल जमा कराने योग्य राशि	: रू०

कृ०म०श० 2....

नोट :-

1. कृपया उपरोक्त वर्णित कुल राशि रूपये
.....का बैंक ड्राफ्ट/चैक जो कि राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के पक्ष में देय हो मय संलग्न चालान के दिनांक तक काउन्टर संख्या
..... कालोनी में जमा कराकर प्राप्ति रसीद/चालान की एक फोटो प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दें। ताकि अदेय प्रमाण पत्र एवं नियमितीकरण पत्र जारी किया जा सकें। भविष्य में लीज की राशि रूपये
..... वार्षिक की दर से माह जनवरी एवं जुलाई में (वर्ष में दो बार) 99 वर्ष तक जमा कराते रहे।
2. उक्त सम्पत्ति के विरुद्ध उपरोक्त बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने हेतु आपको 30 दिवस का समय दिया जाता है यदि आपके द्वारा इस अवधि में उक्त राशि जमा नहीं कराई गई तो उक्त मकान का नियमितीकरण नहीं किया जायेगा एवं आप द्वारा नियमितीकरण हेतु जमा करवाया गया प्रशासनिक शुल्क तथा प्रस्तुत किये गये सभी मूल प्रपत्रों को जब्त कर लिया जायेगा।
3. इस आवास की राजस्थान आवासन मण्डल की पूर्वानुमति के बिना ही राज्य सरकार/अन्य किसी राजकीय उपक्रम/एच.डी.एफ.सी./केनफिन होम्स लि०/भारतीय जीवन बीमा/आवासन वित्त लि०/दीवान हाउसिंग लि०/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अधिकृत अन्य किसी वित्तीय संस्था को बन्धक रखा जा सकता है, किन्तु इसकी सूचना इस मॉग पत्र के हस्ताक्षरकर्ता को निश्चित रूप से भेजी जावे।

राशि जमा कराने हेतु चालन फार्म भरने का विवरण :-

1. मासिक किस्त
- 2 मासिक किस्त पर शास्ति
3. बकाया लीज एवं एक मुश्त लीज
4. बकाया लीज पर ब्याज
5. प्रशासनिक शुल्क (Fees, Fines, & Forfiture)
6. अन्य (other)

कुल योग :

.....

लेखाधिकारी (वसूली)
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त

कार्यालय लेखाधिकारी (वसूली) वृत्त—
राजस्थान आवासन मण्डल,

क्रमांक :

दिनांक :

नियमितीकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण-पत्र

श्री / श्रीमती

.....

.....

महोदय / महोदया,

राजस्थान आवासन मण्डल, की योजना
शहर के मकान/फ्लैट संख्या माप वर्ग मीटर
की बकाया राशि की मांग पत्र क्रमांक दिनांक के
अनुसार आप द्वारा जमा कराने एवं श्री द्वारा
आपको उक्त मकान को बेचान करने के सम्बन्ध में सम्पादित किये गये मूल दस्तावेज,
इकरारनामा, मुख्तयारनामा, वसीयतनामा आदि प्रस्तुत करने के फलस्वरूप तथा आपके द्वारा
निर्धारित शपथ पत्र, वचन बद्धता पत्र एवं क्षतिपूर्ति व बन्धक पत्र अलग अलग प्रस्तुत किये जाने
पर उक्त आवास का नियमितीकरण आपके पक्ष में किया जाता है। इसकी प्रविष्टि मण्डल के
रिकार्ड में दर्ज कर दी गई है।

भविष्य में उक्त मकान से सम्बन्धित समस्त पत्राचार आप स्वयं अपने नाम से एवं हस्ताक्षरों से
कर सकेंगे।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवास की कीमत के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं
है।

1. लीज राशि जनवरी/जुलाई तक बकाया नहीं है
भविष्य में लीज की राशि रुपयेका 1/2
अर्थात् अर्द्धवार्षिक जनवरी/जुलाई में 99 वर्ष तक जमा करवानी होगी।
2. उक्त आवास के विरुद्ध एक मुश्त लीज राशि जमा है जिसके लिए पृथक
से लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

वित्तीय स्थिति :

1. इस मकान/फ्लैट के विरुद्ध आवंटी द्वारा किसी वित्तीय संस्था से ऋण नहीं
लिया गया है।
2. इस मकान/फ्लैट के विरुद्ध वित्तीय संस्था
.....द्वारा राशि रू० का ऋण
प्रदान किया गया है।

लेखाधिकारी (वसूली)
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त

उप-आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत्त

कार्यालय लेखाधिकारी (वसूली) वृत्त-
राजस्थान आवासन मण्डल,

“लीज मुक्ति प्रमाण पत्र”

क्रमांक :

दिनांक :

श्री / श्रीमती
.....
.....
.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती
..... पुत्र / पत्नी / पुत्री श्री / श्रीमती ने मकान
संख्या योजना शहर के
विरुद्ध एक मुश्त लीज 10 वर्ष की राशि रूपये
जमा करवा दिये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित मकान के विरुद्ध लीज राशि जमा करवाये जाने हेतु कार्यालय
आदेश संख्या 1246 दिनांक 14-05-91 के तहत छूट प्रदान की जाती है।

लेखाधिकारी (वसूली)
राजस्थान आवासन मण्डल
मण्डल
वृत्त

उप-आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन
वृत्त